

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/133/2025

दायर दिनांक 16.09.2025

रजि0 न0 2025/339

अपीलार्थी:-

श्री हरद्वारी लाल, नि. ई-30 भू-तल,
प्रीत विहार, दिल्ली-110092

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर
विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 28.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 02.07.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी का आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया हो जिससे अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना से प्रत्यर्थी ने आज दिनांक तक किसी प्रकार की सूचना से अवगत नहीं कराया गया है ना ही प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जवाब इस न्यायालय को भिजवाया गया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 28.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।




(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर